राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1720/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
दीपचन्द्र शर्मा वार्ड नं. 14 दांतारामगढ, Sikar,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप सचिव राज्यपाल सचिवालय, राज्यभवन Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 10/04/2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री अरविन्द सारस्वत, उप सचिव, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 1-6-17 से उनके प्रस्तुत पूर्व पत्र दिनांक 18-5-17 पर की गई कार्यवाही आदि के सम्बन्ध में कतिपय सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 14-7-17 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र दिनांक 15-6-17 से विनिश्चय/सूचना के सम्बन्ध में संसूचित कर दिया गया था कि उनका आवेदन दिनांक 18-5-17 प्राप्त होना नहीं पाया गया है एवं बिन्दु संख्या 2 के सम्बन्ध में 'शून्य' सूचना होना सूचित किया गया था, बिन्दु संख्या 3 के सम्बन्ध में स्पष्टतः संसूचित कर दिया गया था कि चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के अनुसार सूचना की परिभाषा में नहीं आती है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 15-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी से ऐसी सूचना जो अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है की अपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है कि जब अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सम्बन्धित पत्र प्रत्यर्थी

कार्यालय में प्राप्त ही नहीं हुआ तो उसके सम्बन्ध में सूचना शून्य ही होगी। फिर भी अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से प्राप्त आवेदन पर समुचित कार्यवाही की गई है।

8. अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त